को दोहराया तथा कथन किया कि आवेदकगण के खसरा नम्बर 174 मे जाने जाने के लिए अनावेदक के खेत खसरा नम्बर 172 व 173 के पुर्व से पश्चिम की ओर म्याल के सहारे–सहारे 13 फुट चौड़ा रास्ता दिये जाने के आदेश फरमाया जावें।

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) का स्वीकार किया जाकर आवेदकगण के खेत भूमि ,खसरा नम्बर 172 में आवागमन हेतु अनावेदकग के खेत खसरा नम्बर 172 नजरी नक्शा में अंकित बिन्दू ए से बी लम्बाई 120 मीटर चौड़ाई 4 मीटर कुल 480 वर्ग मीटरतथा खसरा नम्बर 173 में से नजरी नक्शा में अंकित बिन्दू बी से सी लम्बाई 144 चौड़ाई 4 मीटर कुल 576 वर्ग मीटर कुल क्षैत्रफल 1056 वर्ग मीटर भूमि को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है। तथा तहसीलदार चिड़ावा को आदेशित किया जाता है कि रास्ते के रूप में समायोजित होने वाली भूमि के बदले भूमि आवेदकगण के भूमि खसरा नम्बर 172 में कम की जाकर अनावेदकगण के भमि खसरा 172 व 173 में समायोजित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(डा0 नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा
उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक 13/11/25 मेरे द्वारा पृथक से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा0 नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा
उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)